कदम उठायेगी ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1990–91 के दौरान मोटे तौर पर तिलहनों का 19.1 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ी है । लेकिन, अब भी स्वदेशी उपलब्धता तथा कुल मांग में अन्तर है । खाद्य तेलों में वृद्धि के कारण हैं– तेल के उत्पादन के लिये आदानों की लागत में वृद्धि, परिवहन के भाड़े में वृद्धि, खाद्य तेलों की घरेलू मांग तथा स्वदेशी सप्लाई में अन्तर जिसे आयात के जरिये पूरा नहीं किया जा सका, जमाखोरी की शक्तियां, घन सप्लाई में बढ़ोतरी , और अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति ।

(ङ) तिलहनों तथा खाद्य तेलों संबंधी समेकित नीति में उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिये लाभकारी मूल्य दिलाना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्य तेल दिलाना शामिल है । वर्तमान नीति में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच ताल-मेल बैठाने का प्रयास निहित है । उपभोक्ताओं को और अधिक राहत देने के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा धारा ब्रांड खाद्य तेल की बिक्री में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

रेलवे द्वारा जारी किये गये पास

923. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में रेलवे द्वारा जारी कितने पास प्रचलन में है ;

(ख) उनमें से कितने पास क्रमशः स्वतंत्रता सेनानियों, संसद सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं एवं रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये है ; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष इन पासों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किये जाने का मामला आया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय जारी किये गये मानार्थ कार्ड पासों से है । 20–7–1991 को वैध मानार्थ कार्ड पासों की संख्या 139 है ।

(ख) मौजूदा मार्ग-निर्देशों/प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर इस तरह के मानार्थ कार्ड पास जारी किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत मोटे तौर पर जाने माने व्यक्ति और अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे संगठन आते हैं । अतः जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये पास जारी किये गये हैं उनका ब्यौरा देना कठिन होगा । स्वतंत्रता सेनानियों, आसन्न संसद सदस्यों और रेल कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न किस्म के पास जारी किये जाते हैं और ये पास उपर्युक्त पासों में शामिल किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

तिलहनों और दलहनों के लिए बीजों की नई किस्म और नई प्रौद्योगिकी

924. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में नई तकनीकों के साथ तिलहनों और दलहनों की अधिक उपज देने वाली बीजों की नई किस्म का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बीजों एवं तकनीक को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना/व्यवस्था बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान ने टिशु कल्चर तकनीक से सरसों की दो उत्तम प्रजातियों अर्थात् बायो-वाई०एस०आर० तथा बायो-902 का पता लगाया है। इन प्रजातियों की निष्पत्ति के लिए आंग और परीक्षण किए जा रहे हैं। दालों के मामले में नई तकनीकों के माध्यम से कोई नई प्रजाति विकसित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) यदि सरसों की प्रजातियो की निष्पत्ति मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में अच्छी रही और नियुक्ति तथा अधिसूचना के लिए उनका चयन कर लिया गया तो उनकी वाणिज्यिक खेती के लिए बीज बहुलीकरण किया जाएगा।

ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी

925. डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में असंगठित ग्रामीण मजदूरों की संख्या 115 मिलियन से भी अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि असंगठित मजदूरों की दैनिक मजदूरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है जो भिन्न-भिन्न राज्यों में 8 रुपए 50 पैसे से लेकर 12 रुपए 75 पैसे प्रति दिन है;

(ग) किन-किन राज्यों में इन ग्रामीण मजदूरों की मासिक मजदूरी 600 रुपए या इससे कम है और क्या सरकार द्वारा इन असंगठित और शोषित मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कार्य योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मजदूरों को छोड़कर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिये राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित असंगठित श्रमिकों की दैनिक मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर के भाग (ख) में बताया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने मई 90 में राज्य सरकारों को लिखा था कि वे किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की निम्न सीमा 15 रु० प्रतिदिन से कम निर्धारित न करें। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई थी कि वे दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की बढ़ोतरी होने पर जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित करें।

खान-पान व्यवस्था के संचालन में रेलवे द्वारा उठाई गई हानि

926. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा संचालित खान पान व्यवस्था में प्रतिवर्ष भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले;